अल्प कालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मेरठ क्षेत्र के मेरठ डिपो कार्यशाला में बसों की सफाई–धुलाई हेतु ठेके की नीलामी टैण्डर प्रणाली द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय मेरठ में दिनॉक 22.06.2017 को 14.00 बजे तक टैण्डर बॉक्स में डाले जायेंगे तथा प्राप्त निविदाओं/प्रार्थना पत्रों को निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

1	टैण्डर क्रय करने का स्थान	क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय मेरठ दिनॉक 15.06.2017 से 22.06.2017 तक
2	टैण्डर भरकर जमा करने की तिथि व स्थान	दिनॉक 22.06.2017 को समय 14.00 बजे तक कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
3	टैण्डर खुलने की तिथि व समय	दिनॉक 22.06.2017 को समय 15.00 बजे
4	ठेके की अवधि	15.06.2017 से अग्रिम आदेशों तक।

नियम/शर्ते :–

1. चयनित सफाई ठेकेदार को एक सप्ताह का निशुल्क ट्रायल देना होगा। सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/सीनियर फोरमैन की संस्तुति पर ही अनुमति प्रदान की जायेगी।
2. प्रत्येक सफाई ठेकेदार को बसों की सफाई–धुलाई हेतु सामान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। जैसेः– लिक्विड, इण्डस्ट्रीयल डिटर्जेंट, ब्राण्डेड इण्डस्ट्रीयल परफ्यूम्ड डिस्इन्फैक्टेन्ट तथा सफाई हेतु झाड़ू, कपडें, वाइपर आदि। डिपो पर उपलब्ध दैनिक आउट शैड बसों की शत–प्रतिशत सफाई–धुलाई करनी अनिवार्य होगी। निगम मुख्यालय द्वारा बसों की सफाई–धुलाई हेतु रूपये 28/– प्रतिबस की दरें निर्धारित की गयी हैं।
3. अनुबन्धकर्ता को 60 बसों तक की डिपो हेतु रूपये 5000/–, 61 से 80 बसों तक के डिपो हेतु रूपये 7500/– तथा 80 बसों से अधिक के डिपो हेतु रूपये 10,000/– प्रतिभूति के रूप में क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ के पास जमा करना होगा जो ठेका समाप्ति पर रिफन्डेबल होगी।
4. बसों की सफाई–धुलाई का रजिस्टर बनाना होगा जिसका सत्यापन प्रतिदिन सीनियर फोरमैन करेंगे व समय–समय पर सम्बन्धित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक उसका निरीक्षण करेगें।
5. सफाई ठेकेदार को बसों की धुलाई लिक्विड इण्डस्ट्रीयल डिटर्जेंट से करानी होगी।
6. सफाई ठेकेदार को बसों के शीशों की सफाई प्रतिदिन करनी होगी। अन्दर की सफाई के लिये फर्श की स्वीपिंग करानी होगी तथा सीटों की सफाई ब्राण्डेड इण्डस्ट्रीयल परफ्यूम्ड डिस्इन्फैक्टेन्ट मॉइस्ट क्लीनिग द्वारा करनी होगी।
7. सफाई ठेकेदार को बसों की सुचारु रूप से सफाई व धुलाई हेतु सम्बन्धित डिपो की आउट शैडिंग शिडयूल के अनुसार सफाई–धुलाई हेतु शिफटवाइज अलग–अलग कर्मचारियों की व्यवस्था करनी

Downloaded from www.upsrtc.com

होगी। 60 बसों तक के डिपो हेतु न्यूनतम 04 सफाई कर्मचारियों, 61 से 80 बसों तक के डिपो हेतु न्यूनतम 06 सफाई कर्मचारियों तथा 80 से अधिक बसों तक के डिपो हेतु 08 सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी। सफाई ठेकेदार को अपने कर्मचारियों हेतु एप्रेन व रबर बूट की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

8. मासिक बिल सम्बन्धित डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को प्राप्त करायेंगे जिनके प्रतिहस्ताक्षरित व सत्यापित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।

9. डिपो से आउट शैड किसी बस के एक त्रैमास(90 दिन) में प्रथम बार स्वच्छ न पाये जाने पर रूपये 100/- की पैनाल्टी संचालक/सफाई ठेकेदार से वसूली जायेगी, द्वितीय बार किसी बस के गंदी पाये जाने पर रूपये 250/- की पैनाल्टी वसूली जायेगी, तीसरी बार कोई बस गंदी पायी जाती है तो प्रतिभूति की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर की धनराशि की पैनाल्टी वसूली जायेगी, चौथी बार कोई बस गंदी पायी जाती है तो प्रतिभूति की 75 प्रतिशत धनराशि के बराबर धनराशि की पैनाल्टी वसूली जायेगी। यदि पांचवी बार कोई बस गंदी पायी जाती है तो सम्पूर्ण प्रतिभूति जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

10. अनुभवी सफाई ठेकेदार को ही वरीयता प्रदान की जायेगी जिसके साथ अनुभव प्रमाण पत्र जिस विभाग/परिवहन निगम में कार्य किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. निविदा दाता को टैण्डर फार्म/प्रार्थना पत्र रूपये 200/- जमा कर उसमें निम्न विवरण:- अपना नाम, पिता का नाम, निवास स्थान व चाल चलन का सत्यापन सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर तथा अपनी पासपोर्ट साइज फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

12. अपुर्ण निविदा/प्रार्थना पत्र को विचार योग्य नही माना जायेगा।

13. प्रतिभूति राशि न जमा करने पर टोकनमनी/टैण्डर मनी जब्त कर ली जायेगी। टैण्डर फार्म/प्रार्थना पत्र के साथ रूपये 1000/- का बैंक ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य होगा। समीति द्वारा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर शेष धनराशि प्रतिभूति के रूप में तत्काल जमा करनी होगी जो ठेका समाप्ति के बाद वापस होगी।

14. सफाई ठेकेदार को कार्यरत् कर्मचारियों के नाम व पते की सूची सम्बन्धित डिपो में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

15. जिस डिपो कार्यशाला के लिये निविदा/प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है उस डिपो का नाम लिफाफे पर अंकित करना होगा व अपना नाम तथा पूर्ण पता लिखना अनिवार्य होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

16. कार्य समाप्ति हेतु 03 माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होगा ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी व अन्य देयक जब्त भी किये जा सकते है।
17. उक्त ठेका बस वाशिंग प्लान्ट स्थापित होकर चालू होने तक की अवधि हेतु ही चालू रहेगा।
18. पैन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, कैंसिल चैक तथा बैंक विवरण आदि प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. परिवहन निगम द्वारा ब्लैकलिस्टिड ठेकेदार निविदा/खुली बोली में भाग नही ले सकते। कार्यालय की जानकारी में आने के उपरान्त प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए ठेका समाप्त कर दिया जायेगा।
20. धुलाई–सफाई हेतु अनुबन्धकर्ता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा होने पर किसी प्रकार का विधिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व निगम का नही होगा अपितु इसका पूर्ण उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
21. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद निपटारा जनपद मेरठ के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित होगा।

किसी भी टैण्डर को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
मेरठ।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, मेरठ।

पत्र संख्या 2879/क्षे0प्र0/मेरठ/सामान्य/सफाई–धुलाई ठेका/17 दिनॉक 14-06-2017

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचा0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. प्रधान प्रबन्धक(वाणिज्य एवं विपणन), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. प्रबन्धक, (एमआईएस), महोदय परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को विज्ञप्ति वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु (ई–मेल के माध्यम से)।
5. सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
6. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
7. स0क्षे0प्र0, स्टेशन अधीक्षक/डिपो प्रभारी मेरठ/सो0गेट/भैसाली/बडौत/गढ।
8. tender@upsrtc.com
9. नोटिस बोर्ड।

क्षेत्रीय प्रबन्धक,
मेरठ।

Downloaded from www.upsrtc.com